

सिंह  
हुकम

हुकम या कार्यकारी मय इतिशिरुत्स जज

तन्मय व तारीख  
जस्तकान जो इस  
हुकम की तारीख में  
जारी हुए।

सिंह  
हुकम  
जारी  
हो

\* ताराचन्द बनाम रंगसात

प्रार्थना पत्र 212 और टी.एक्ट

30.07.2020 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 और टी.एक्ट के तहत वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो आराजी हाल खसरा 605/0.05, 607/0.05, 566/0.05, बाके ग्राम सक्ट तह 0 राजगढ से प्रार्थी के मुताबिक हिस्सा उपयोग व उपभोग में रुकावट व मजाहमत पैदा न करें, निर्माण न करें, कब्जा न करें, चाह से सिचाई करने में रुकावट न करें, मौका रिकार्ड की उधास्थिति बनाए रखे। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

वकील प्रार्थी एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, प्रस्तुत वस्तावेज पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 29.09.2020 तक पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त वर्गित विवादित आराजी की प्रार्थी के हिस्से की आराजी में कृषि कास्त में नजाहनत न करें। साथ में अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब डो कि उन्हें इस संबंध में कोई आप्पे हो तो दिनांक 29.09.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी  
राजगढ(अलवर)

~~वकील प्रार्थी~~  
~~के विरुद्ध अप्रार्थीगण~~  
~~के विरुद्ध प्रस्तुत~~  
~~कर अप्रार्थीगण को~~  
~~जरिये अन्तरिम अस्थाई~~  
~~निषेधाज्ञा से पाबन्द~~  
~~करने का निवेदन किया~~  
~~कि वो आराजी हाल~~  
~~खसरा 605/0.05, 607/0.05,~~  
~~566/0.05, बाके ग्राम~~  
~~सक्ट तह 0 राजगढ से~~  
~~प्रार्थी के मुताबिक~~  
~~हिस्सा उपयोग व~~  
~~उपभोग में रुकावट व~~  
~~मजाहमत पैदा न करें,~~  
~~निर्माण न करें, कब्जा~~  
~~न करें, चाह से सिचाई~~  
~~करने में रुकावट न~~  
~~करें, मौका रिकार्ड की~~  
~~उधास्थिति बनाए रखे।~~  
~~साथ में शपथ पत्र~~  
~~पेश किया।~~

पीठारीन अधिकारी अन्य कार्यों में  
व्यस्त हैं। अज्ञात दिनांक 12/11/20  
को पेश हो।

सिंह

10/11/20

तारीख हुक्म	न्यायालय उपसचिव अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 02/40/2020 तरारखन्द / रंगलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामील जारी हुए।
----------------	---	--

12/8/25  
 पत्रावली इकजाई तारीख से पेस  
 भूलवाद अदम हाजिरी एव अदम परकी  
 के तहत श्वारिज किया जा चुका है  
 अतः प्राथमिक पत्र 212 R.T. अक्ट की कार्यवाही  
 बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से  
 कम होकर बाद प्रति भूलवाद के साथ  
 संपन्न है।

Soo